सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुड़ामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2024 ⁄ 375 दर्ज तिथिः–02.01.2024

सरकार **बनाम** **उगमीदेवी**

–:निर्णयः–

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना–पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के अन्तर्गत बाबत् निर्णय प्रस्तुत हुई। प्रकरण का सुक्ष्म एवं सारतः वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थी ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर खसरा संख्या 320, 329, 471 ⁄ 316, 472 ⁄ 316, 315 मौजा जूनी उन्दरी पटवार मण्डल धोलानाडा तहसील नोखड़ा में उक्त रास्ता स्थाई रूप से बारहमासी चलायमान है। जिस पर राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06.11.2004 के अनुसार सभी काश्तकारों को अपने खेत खसरा तक पहुंच हेतु रास्ते के उपयोग के लिये राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते के रूप में उपयोग में आ रहा है। परंतु उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। उक्त रास्ता मौके पर भी बारहमासी कदीमी रास्ते के रूप में उपयोग लिया जा रहा है। अतः मौके पर चालू कदीमी रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में परिपत्र दिनांक 10.08.2016 तथा 30.09.2021 के अनुसार उक्त रास्ते को सार्वजनिक रास्ता अंकित करने का निवेदन किया है।

2. प्रार्थना–पत्र पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 02, 24 ता 27, 29 ता 36 एवं 38 ता 41 को छोड़कर शेष अप्रार्थीगण बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 02, 24 ता 27, 29 ता 36 एवं 38 ता 41 द्वारा जरीये असालतन–वकालतन उपस्थित न्यायालय होकर तहसीलदार नोखड़ा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 293 एवं 315 में से प्रस्तावित रास्ते को रिकॉर्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज करवाने हेतु सहमति प्रदान की गई। प्रकरण में खसरा संख्या 293 के खातेदारों को संयोजित करते हुए तहसीलदार नोखड़ा से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा खसरा संख्या 293 एवं 315 में से रास्ता प्रस्तावित करते हुए मौका रिपोर्ट दिनांक 13.01.2025 को प्रेषित करते हुए खसरा संख्या 293 के खातेदारों को जरिये नोटिस सूचित किया गया। प्रकरण में बाद विधिवत तामिल अप्रार्थी संख्या 30, 35, 37 ⁄ 1 ता 37 ⁄ 4, 39, 48, 49 एवं 57 जरिये असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। प्रकरण में उभयपक्षकारों की बहस सुनी गई। दौरान–ए–बहस अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02, 24 ता 27, 29 ता 36 एवं 38 ता 41 ने उक्त रास्ते के मौके पर रास्ता चालू होने के कारण प्रार्थना–पत्र को तहसीलदार नोखड़ा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 293 एवं 315 में से प्रस्तावित रास्ते को रिकॉर्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज करवाने हेतु सहमति प्रदान करते हुए प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। दौरान–ए–बहस अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 30, 35, 37 ⁄ 1 ता 37 ⁄ 4, 39, 48, 49 एवं 57 उक्त रास्ता मौके पर चालू नहीं होने के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.14 12:42:15 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रकरण में अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 30, 35, 37 / 1 ता 37 / 4, 39, 48, 49 एवं 57 उक्त रास्ता मौके पर चालू नहीं होने के कथन पर तहसीलदार नोखड़ा से पुनः मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक आडेल एवं हल्का पटवारी धोलानाडा के मार्फत दिनांक 15.07.2025 को मौका निरीक्षण करवाया जाकर पुनः मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 15.07.2025 का उद्धरण इस प्रकार हैः–

- *कि ग्राम जूनी उन्दरी के खसरा संख्या 293 रकबा 28.5384 है0, खसरा संख्या 315 रकबा 32.8604 है0 भूमि में पुराना कदीमी रास्ता चलायमान है। उक्त रास्ता कई वर्षों से चालू है। उक्त रास्ता आवागमन हेतु उपयुक्त है। उक्त रास्ते की किस्म बा0 दोयम दर्ज है। उक्त रास्ते की किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज किया जाना न्यायोचित है।*

4. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 293, 315 मौजा जूनी उन्दरी पटवार मण्डल धोलानाडा तहसील नोखड़ा में उक्त रास्ता बारहमासी चालू रास्ता होने पर राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 व 30.09.2021 के अनुसार सभी काश्तकारों को अपने खेत खसरा तक पहुंच हेतु रास्ते के उपयोग में आ रहा है। परंतु उक्त रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। तहसीलदार नोखड़ा की रिपोर्ट के अनुसार उक्त रास्ता मौके पर भी बारहमासी कदीमी रास्ते के रूप में उपयोग लिया जा रहा है। इस प्रकार प्रस्तावित मार्ग पर कदीमी रास्ता मौके पर चालू है। इस संबंध में परिपत्र दिनांक 10.08.2016 तथा 30.09.2021 के अनुसार केवल बारहमासी मौके पर चालू रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में सार्वजनिक रास्ता अंकित करने के निर्देश दिये गये हैं।

5. उल्लेखनीय है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 सपठित राजस्थान भू–राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 30.09.2021 के अनुसार कदीमी रास्ते को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने की शक्तियां भू–अभिलेख अधिकारी को प्रदत्त है। राज्य सरकार द्वारा भू–अभिलेख अधिकारी की शक्तियां संबंधित उपखण्ड अधिकारी को प्रत्योजित की गई है।

6. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा उक्त प्रस्तावित कदीमी रास्ते को मुताबिक मौका राजस्व रिकॉर्ड मे राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं 132 सपठित राजस्थान भू–राजस्व (लैण्ड रिकार्ड) नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 तथा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 एवं 31.09.2021 के प्रावधानों के तहत खसरा संख्या 293, 315 मौजा जूनी उन्दरी पटवार मण्डल धोलानाडा तहसील नोखड़ा में उक्त रास्ता सहकाश्तकारों के मध्य विभाजन होने पर सभी काश्तकारों को अपने खेत खसरा तक पहुंच हेतु रास्ते के उपयोग के लिये राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते के रूप में तरमीम की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज एवं मौके पर चालू रास्ते के भूमि उपयोग को गै0मु0 रास्ता के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

वादी का उक्त [illegible] राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना–पत्र में वर्णित खसरा संख्या 293, 315 मौजा जूनी उन्दरी पटवार मण्डल धोलानाडा तहसील नोखड़ा को राजस्व रिकॉर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.14 12:42:15 IST
Reason: SelfAttested

में गै0मु0 रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 18.07.2025 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुड़ामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.14 12:42:15 IST
Reason: SelfAttested